

06. विहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं संस्था/समितियों के अध्यक्ष/मंत्री के साथ एकरारनामा होने के उपरान्त ही कार्यशील पूँजी का भुगतान किया जायेगा।

07. एकरारनामा का प्रारूप (Format) इसके साथ संलग्न है एवं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के वेबसाईट www.kvibbihar.com पर भी उपलब्ध है।

08. एकरारनामा में निहित सभी शर्तों का अनुपालन खादी संस्थाओं/समितियों को अनिवार्य रूप से किया जायेगा। विहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी संस्थाओं के मध्य एकरारनामा पर हस्ताक्षर होने के बाद ही स्वीकृत कार्यशील पूँजी (ऋण) का भुगतान किया जायेगा।

09. सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरूद्धार योजना) को निदेश है कि तसर खादी विभर्स के खाते में स्वीकृत कार्यशील पूँजी की राशि को RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञापांक- 29/09/18

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
पटना, दिनांक- 29/09/18

प्रतिलिपि :- उपर्युक्त सभी संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरूद्धार योजना)/प्रभारी सहायक (खादी पुर्नरूद्धार योजना)/निजी संचिका एवं गार्ड संचिका को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना/G.T India LLP, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 29/09/18

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
पटना, दिनांक- 29/09/18

प्रतिलिपि :-संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 29/09/18

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
पटना, दिनांक- 29/09/18

प्रतिलिपि :-संबंधित जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, विहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- 29/09/18

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
पटना, दिनांक- 29/09/18

प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव सह अध्यक्ष, उद्योग विभाग, विहार, पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

29/9/2018

29/9/18

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
29/9/18

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
श्री कृष्णा नगर, रोड नं०-22A, पटना-1

कार्यालय आदेश

संचिका सं० - खा०/पुर्न०/233/2016-17 पार्ट-02

बिहार सरकार, उद्योग विभाग की संकल्प संख्या-4671 दिनांक-19.12.2014 द्वारा बिहार में स्थित खादी संस्था/समितियों को खादी पुर्नरूद्धार योजना के तहत चरखा,करघा एवं कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जाना है। उक्त संकल्प के कंडिका-03 के अनुसार संस्था/समितियों को कार्यशील पूँजी ऋण के रूप में दिया जायेगा। जिसपर 4% (चार प्रतिशत) के दर से संस्था/समिति द्वारा ब्याज (सूद) देय होगा।

02. बिहार सरकार, उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक सं०-566 पटना दिनांक-17.02.2017 के आलोक में खादी पुर्नरूद्धार योजना के तहत बिहार स्थित खादी संस्था-तसर खादी वीभर्स समिति, फाड़ी गली नाथनगर चौक, भागलपुर, पो०+थाना-नाथनगर, भागलपुर 01 तकुआ का कटिया चरखा (शिल्क स्पीनिंग चरखा) 45 नग क्रय किये जाने हेतु राशि उपलब्ध कराया गया है, उन्हें कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जाना है।

03. तसर खादी वीभर्स समिति, फाड़ी गली नाथनगर चौक, पो०+थाना- नाथनगर भागलपुर का G.T India LLP पटना द्वारा स्थल निरीक्षण एवं उपलब्ध कराये गये कटिया चरखा का भौतिक सत्यापन एवं अन्य का जाँच कर कार्यशील पूँजी का निर्धारण टाइम गोशन स्टडी के आधार पर निर्धारित अनुमानित वार्षिक उत्पादन रू० 93.19 (तेरानवे लाख उन्नीस हजार) रूपये का 20% रूपये 18.64 (अठारह लाख चौसठ हजार) रूपया भुगतान करने का प्रस्ताव दिया गया है।

04. G.T India LLP पटना द्वारा प्रस्तावित कार्यशील पूँजी के आधार पर उक्त संस्था/समिति को रू० 18.64 (अठारह लाख चौसठ हजार) रूपये कार्यशील पूँजी के रूप में किया जाना है, जिसपर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

05. उक्त संस्था तसर खादी विभर्स समिति, फाड़ी गली, नाथनगर चौक, पो०+थाना-नाथनगर, भागलपुर को 45 नग कटिया चरखा के विरुद्ध कार्यशील पूँजी रू० 18.64 (अठारह लाख चौसठ हजार) रूपये का भुगतान खादी पुर्नरूद्धार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त राशि से करने की स्वीकृति दी जाती है।

dc